

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-77/2026 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मुस्ताक खाँ पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री हितेश शर्मा वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 27.2.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री हितेश शर्मा वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा 22 आर.डब्ल्यू. डी.बी के खाता संख्या 99/73 के पत्थर नम्बर 234/420 (35) किला नम्बर 23 ता 25 की 0.7590 है0 व पत्थर नम्बर 234/421 (45) किला नम्बर 3 ता 8 की की 1.5180 है0, किला नम्बर 14 ता 17 की 1.0120 है0 व पत्थर नम्बर 235/421 (44) किला नम्बर 1/2,10/1,11/2 की 0.6840 है0 कुल 3.9730 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में 1657/3973 हिस्सा एवं चक रोही मौजा लालपूरा के खाता संख्या 192/171 के पत्थर नम्बर 238/440 (290) किला नम्बर 2 ता 9 की 2.0240 है0, किला नम्बर 12 की 0.2530 है0 व पत्थर नम्बर 239/440 (291) किला नम्बर 1/2 की 0.2270 है0, किला नम्बर 2-3-8-9 की 1.0120 है0, किला नम्बर 10/1 की 0.2270 कुल 3.7430 है0 बारानी-1 खातेदारी कृषि भूमि में 23/56 हिस्सा अनकमाण्ड बारानी-1 खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम मुस्ताक पुत्र उमरदीन के स्थान पर मुस्ताक खाँ पुत्र उमरदीन दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.2.2026 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर